The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c): No earmarked grant was given to the Orissa Government for tobacco cultivation as such. As to expenditure incurred by that Government on tobacco cultivation, out of development grants made by the Central Government, the information required has been called for and will be laid on the Table of the Sabha.

जैसलमेर के व्यापारियों द्वारा गेहूं की खरीद

३५२६. **श्री रतन सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान बनने से पहले जैसलमेर रियासत के व्यापारियों ने आयात किया हुआ गेहूं भारत सरकार से खरीदा था और क्या उसकी कीमत भारत सरकार के पास जमा करवा दी थी ;

(ख) जितनी रकम जमा की गई थी क्या उतना धान नहीं दिया गया इसलिये शेष रकम दी जानी थी ;

(ग) क्या १९५१-५२ में यह रकम व्यापारियों को देने के लिये भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को लौटा दी ;

(घ) यह रकम कितनी थी और अब तक उसमें से कितनी रकम वास्तव में व्यापारियों को मिली और कितनी राजस्थान सरकार ने नहीं चुकाई;

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ व्यापारियों ने इस रकम के सिलसिले में जैसलमेर के सिविल कोर्ट से हजारों पयों की डिक्रियां भी सरकार के खिलाफ हासिल करली हैं ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री श्री ब्र० म० थामस) (क) भारत सरकार का अलग अलग व्यापारियों के साथ कोई सीधा लेन-देन नहीं था। खाद्यान्नों के मूल्य की सारी रकम जैसलमेर राज्य के दीवान के नाम भारत सरकार के पास जमा थी।

(ख) भारत सरकार द्वारा कोई धान नहीं दिया गया था।

(ग) बची हुई रकम जो राजस्थान राज्य को भूतपूर्व जैसलमेर राज्य का उत्तराधिकारी होने के नाते लौटाई गयी थी, का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और बाद में सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

(घ) राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस रकम का ब्यौरा इस प्रकार है :—

विलय होने से पहले के सौदे

	रु०
(१) लौटाई जाने वाली रकम	३०,८१९
(२) वसूली योग्य रकम	२,९४,७७७
(३) विशुद्ध वसूली योग्य रकम	२,६३,९५८

जैसलमेर के व्यापारियों से ।

विलय के बाद के सौदे

(१) चुकाई जाने वाली रकम	११,७१२
(२) वास्तव में चुकाई गयी रकम	८,१०५

जहां तक शेष रकम का सम्बन्ध है, ये मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(ङ) विलय के बाद के सौदों में केवल एक व्यापारी ने सिविल कोर्ट से राज्य सरकार के विरुद्ध डिक्री प्राप्त की है।

(च) राजस्थान सरकार ने उस डिक्री का भुगतान कर दिया है।